कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

जोधपुर विकास प्राधिकरण

email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

कमांक / बैठक / 2020 / भाग(9) / २१३ दिनांक :: १७ फरवरी, 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 17 फरवरी, 2021 को प्रातः 11.00 बजे श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों / अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 25 नवम्बर 2020 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **25 नवम्बर 2020** का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक **25 नवम्बर 2020** का कार्यवाही विवरण पुष्ठि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 25 नवम्बर, 2020 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट पुनर्नियोजन **को प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन बाबत्।**

क्र. स	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है।	बजट अनुमान वर्ष 2020–21 में उपलब्ध बजट प्रावधानों से पुनर्नियोजन किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट पुनर्नियोजन का प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन बाबत् रखा जाना जिसको पत्रावली में अध्यक्ष जो.वि.प्रा. द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है साथ ही नवीन योजना हेतु नये बजट लेखाशीर्षक भी खोलने के प्रस्ताव भी अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। अतः जिन कार्यो हेतु बजट पुनर्नियोजन करवाये गये है उनके प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	कार्य का नाम	पुनर्नियोजन की गई राशि रूपये (लाखों में)
1	नवीन योजना विनोबा भावे नगर योजना संख्या 28 चौखा में मुटाव निर्माण कार्य	26.30
2	अफोर्डेबल आवासीय योजना चौखा (अरिहन्त) विद्युतीकरण	01.10
3	Preparation of comprehensive Development plan & DPR of Mandore Garden for Heritage Conservation & renovation	35.26

उक्त कार्य हेतु बजट अनुमान 2020–21 में पुनर्नियोजन के प्रस्तावो को प्राधिकरण में अनुमोदन प्रस्ताव निम्नानुसार है :–

क्र स	राशि जहाँ से ली जानी है				क्र सं	राशि जहाँ को जानी है				विशेष विवरण
	बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्नियोजन से घटाई गई राशि	शेष प्रावधान		बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्नियोजन से जोडी गई राशि	कुल प्रावधान	
1	5006–02–000–(01)	1081.62	26.30	1055.32		5006–02–000–(018)	0	26.30	26.50	नया लेखाशीर्षक खोला गया
2	5006–02–006–(03)	100.00	1.10	98.90		5006–02–000–(01)	0	1.10	1.10	—
3	5008–04	50.00	35.26	14.75		5008–04	14.74	35.26	50.00	—

उपरोक्तानुसार बजट पुनर्नियोजन प्राधिकरण में अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया है अतः प्राधिकरण के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपस्थित निदेशक–वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित तालिका में टंकण त्रुटि होने से इसे निम्नानुसार पढ़ा जावेः–

क्र स	राशि जहाँ से ली जानी है				क्र सं	राशि जहाँ को जानी है				विशेष विवरण
	बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्नियोजन से घटाई गई राशि	शेष प्रावधान		बजट शीर्षक	उपलब्ध प्रावधान	पुनर्नियोजन से जोडी गई राशि	कुल प्रावधान	
1	5006–02–000–(01)	1081.62	26.30	1055.32		5002–02–018–(06)	0	26.30	26.50	नया लेखाशीर्षक खोला गया
2	5002–02–006–(03)	100.00	1.10	98.90		5009–02–001	0	1.10	1.10	—
3	5008–04	50.00	35.26	14.75		5008–03	14.74	35.26	50.00	—

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण के अनुमोदन की प्रत्याशा में किये गये बज़ट पुनर्नियोजन का अनुमोदन करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: जोन पूर्व में वीर तेजाजी, महाराणा प्रताप, हाईफा हीरो दलपत सिंह व चाणक्य की मूर्तियों का निर्माण कार्य व लगवाने बाबत्।

क सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	**जोन पूर्व में वीर तेजाजी, महाराणा प्रताप तथा हाईफा हीरो दलपत सिंह की मूर्तियों का निर्माण कार्य व लगवाने के कार्य** के कार्यादेश की तथा भुगतान की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

		जोन पूर्व में **चाणक्य की मूर्ति का निर्माण कार्य व लगवाने के कार्य** के भुगतान की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

A. कार्य का नाम :– जोन पूर्व में सारण नगर में वीर तेजाजी की मूर्ति का निर्माण एवं लगाने का कार्य।

1. अनुबंध संख्या :– एफ38(25)वर्ष 2018–19
2. संवेदक :– मैसर्स स्टूडियों सुकृति
3. प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति :– रू.18.85 लाख
4. कार्यादेश राशि :– रू. 1595600/–
5. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि :– 06.07.2018
6. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :– 26.09.2018

- तात्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की निर्देशानुसार प्रचलित लोक देवता की प्रसिद्ध को देखते हुये जनता की मांग पर यह कार्य स्वीकृत किये जाने का उल्लेख पत्रावली में किया गया है। पत्रावली के नोटशीट के पेरा सं. 81,82 के अनुसार इस कार्य का कार्यादेश आगामी प्राधिकरण बैठक के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया।
- जयपुर रोड स्थित सारण नगर आर.ओ.बी के नीचे निर्धारित स्थल पर प्राधिकरण द्वारा अन्य संवेदक के माध्यम से मूर्ति लगाने हेतु पेडेस्टल का निर्माण करवाया जा चुका है।
- संवेदक द्वारा वीर तेजाजी मूर्ति का क्ले मॉडल तैयार होने पर कार्यादेश की 10 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान किया गया। (कार्यादेश मे उल्लेखित बिन्दु सं. 08 के अनुसार)
- कार्य का प्रथम रनिंग बिल दिनांक 06.09.2018 को राशि रू. 159560/– का पारित हुआ है।
- सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति लगाने की अनुमति सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जारी की जाती है। इस कार्य में मूर्ति लगाने हेतु कमेटी द्वारा अनुमति जारी करने हेतु प्रकरण प्रेषित करने की प्रक्रिया की जा रही है।
- संवेदक मैसर्स स्टूडियों सुकृति द्वारा भुगतान हेतु दिनांक 07.12.2020 को लीगल नोटिस प्रस्तुत किया गया।

B. कार्य का नाम :– जोन पूर्व में महाराणा प्रताप की मूर्ति का निर्माण एवं लगाने का कार्य ।

1. अनुबंध संख्या :– एफ38(26)वर्ष 2018–19
2. संवेदक :– मैसर्स स्टूडियों सुकृति
3. प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति :– रू.18.85 लाख
4. कार्यादेश राशि :– रू. 1594600/–
5. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि :– 06.07.2018
6. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :– 26.09.2018

- तात्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की निर्देशानुसार महाराणा प्रताप की मूर्ति जोन उत्तर में उपयुक्त स्थान पर लगवाये जाने हेतु प्रस्तावित किये जाने का पत्रावली में उल्लेख है। पत्रावली के नोटशीट के पेरा सं. 80,81 के अनुसार इस कार्य का कार्यादेश आगामी प्राधिकरण बैठक के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया।
- कार्य का प्रथम रनिंग बिल दिनांक 06.09.2018 को राशि रू. 159460/– का पारित हुआ है।
- संवेदक द्वारा महाराणा प्रताप मूर्ति का क्ले मॉडल तैयार होने पर कार्यादेश की 10 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान किया गया। (कार्यादेश मे उल्लेखित बिन्दु सं. 08 के अनुसार)
- सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति लगाने की अनुमति सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जारी की जाती है। इस कार्य में मूर्ति लगाने हेतु कमेटी द्वारा अनुमति जारी करने हेतु प्रकरण प्रेषित करने की प्रक्रिया की जा रही है।
- संवेदक मैसर्स स्टूडियों सुकृति द्वारा भुगतान हेतु दिनांक 07.12.2020 को लीगल नोटिस प्रस्तुत किया गया।

C. कार्य का नाम :– जोन पूर्व में हाईफा हीरो दलपत सिंह की मूर्ति का निर्माण एवं लगाने का कार्य।

1. अनुबंध संख्या :– एफ38(12)वर्ष 2018–19
2. संवेदक :– मैसर्स स्टूडियों सुकृति
3. प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति :– रू.18.85 लाख
4. कार्यादेश राशि :– रू. 1689320/–

5. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि :– 07.06.2018
6. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :– 07.09.2018

- तात्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की निर्देशानुसार मैजर दलपत सिंह की प्रसिद्धि व वीरता को देखते हुये जनता की मांग पर यह कार्य स्वीकृत किये जाने का उल्लेख पत्रावली में किया गया है। पत्रावली के नोटशीट के पेरा सं. 77,78 के अनुसार इस कार्य का कार्यादेश आगामी प्राधिकरण बैठक के अनुमोदन की प्रत्याशा में जारी किया गया।
- कार्य का प्रथम रनिंग बिल दिनांक 06.09.2018 को राशि रू. 168932/– का पारित हुआ है।
- संवेदक द्वारा हाईफा हिरो (दलपत सिंह) की मूर्ति का क्ले मॉडल तैयार होने पर कार्यादेश की 10 प्रतिशत राशि का अग्रिम भुगतान किया गया। (कार्यादेश मे उल्लेखित बिन्दु सं. 08 के अनुसार)
- संवित सर्किल के निकट यूर्निवर्सिटी के गेट के पास निर्धारित स्थल पर संवेदक द्वारा मूर्ति लगा दी गई है जिसके फोटोग्राफ पत्रावली मे संलग्न है।
- कार्य का द्वितीय एवं अंतिम बिल दिनांक 31.10.2018 को राशि रू. 1688000/– का पत्रावली में संलग्ल है जिसका भुगतान किया जाना शेष है।
- सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति लगाने की अनुमति सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जारी की जाती है। इस कार्य में मूर्ति लगाने हेतु कमेटी द्वारा अनुमति जारी करने हेतु प्रकरण प्रेषित करने की प्रक्रिया की जा रही है।
- संवेदक मैसर्स स्टूडियों सुकृति द्वारा भुगतान हेतु दिनांक 07.12.2020 को लीगल नोटिस प्रस्तुत किया गया।

D. कार्य का नाम :– जोन पूर्व में चाणक्य की मूर्ति का निर्माण एवं लगाने का कार्य।

1. अनुबंध संख्या :– एफ38(32)वर्ष 2018–19
2. संवेदक :– मैसर्स राज सप्लायर्स
3. प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति :– रू. 12.55 लाख
4. कार्यादेश राशि :– रू. 1200000/–
5. कार्य प्रारम्भ करने की तिथि :– 18.08.2018
6. कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि :– 17.11.2018

- जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय पुराना परिसर कौटिल्य कौशल विकास एवं नीति केन्द्र के पोर्च के सामने लगाने जाने हेतु तात्कालीन अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए जाने का उल्लेख पत्रावली में पेरा सं. 130 पर तात्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा की गयी टिप्पणी में किया गया है।
- तात्कालीन प्राधिकरण अध्यक्ष महोदय की अनुशंषा पर शहरी सौन्दर्यकरण एवं युवाओं में जागरूकता हेतु यह कार्य स्वीकृत किये जाने का उल्लेख पत्रावली में किया गया है।
- इस कार्य में आज दिनांक तक संवेदक को किसी प्रकार का भुगतान नही किया गया है।
- सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति लगाने की अनुमति सम्भागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा जारी की जाती है। इस कार्य में मूर्ति लगाने हेतु कमेटी द्वारा अनुमति जारी करने हेतु प्रकरण प्रेषित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

अतः प्राधिकरण बैठक में उपरोक्त वर्णित कार्यो के तथ्यो को मद्वेनजर रखते हुए जोन पूर्व में वीर तेजाजी, महाराणा प्रताप तथा हाईफा हीरो दलपत सिंह की मूर्तियों का निर्माण कार्य व लगवाने के कार्य के कार्यादेश की तथा भुगतान की स्वीकृति हेतु एवं जोन पूर्व में चाणक्य की मूर्ति का निर्माण कार्य व लगवाने के कार्य के भुगतान की स्वीकृति हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मूर्ति स्थापना की अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति से उपरोक्त मूर्तियां स्थापना की अनुमति प्राप्त कर प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: मण्डोर उधान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति बाबत्

माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 28.11.2020 द्वारा जोधपुर भ्रमण के उपरान्त दिनांक 29.11.2020 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देश एवं भ्रमण के पश्चात जारी कार्यवाही विवरण के बिन्दू सं. 12 पर दिये गये निर्देशानुसार मण्डोर उद्यान का स्वामित्व एवं कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग से जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जाय। इसी सन्दर्भ में मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निमार्ण विभाग राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.जी. 2(2)अनु IV/पार्ट III /डी– दिनांक 12.08.2013 जारी किया हुआ है जिसमें मण्डोर उद्यान को सार्वजनिक निर्माण विभाग से नगरीय विकास विभाग को मय मालिकाना हक स्थायी रूप से हस्तान्तरित किए जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

प्राधिकरण द्वारा मण्डोर उद्यान का स्वामित्व एवं कब्जा लेने पर उद्यान का रखरखाव व सुरक्षा का दायित्व, पानी के बिल, बिजली के बिल, साफ सफाई हेतु सफाई कर्मियों के बिल इत्यादि पर होनें वाले व्यय को प्राधिकरण को वहन किया जाना आपेक्षित है।

अतः मण्डोर उद्यान का स्वामित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग जोधपुर से जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा मालिकाना हक/कब्जा स्थाई रूप से लिये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मण्डोर उद्यान के रखरखाव, सुरक्षा का दायित्व, पानी/बिजली/सफाई इत्यादि पर होने वाले व्यय अर्थात् उद्यान पर प्रतिमाह/प्रति वर्ष होने वाले आवर्तक/अनावर्तक व्यय एवं संभावित आय के संबंध में अवगत कराने हेतु तथा मण्डोर उद्यान के संबंध में कोई विधिक/ अन्य दायित्व, लम्बित विधिक प्रकरणों की जानकारी हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को पत्र जारी किया गया था जिसका प्रतिउत्तर प्राप्त होना शेष है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सार्वजनिक निर्माण विभाग से उपरोक्तानुसार सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण स्तर पर आय–व्यय एवं अन्य दायित्वों/विधिक प्रकरणों का विश्लेषण करते हुए प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: सभांगीय आयुक्त/कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उधान में पत्थर की बैन्चो की आपूर्ति एवं फिक्सिंग का कार्य

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	**सभांगीय आयुक्त/कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में पत्थर की बैन्चो की आपूर्ति एवं फिक्सिंग का कार्य**

सभांगीय आयुक्त/कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में पत्थर की बैन्चो की आपूर्ति एवं फिक्सिंग का कार्य नगर निगम का क्षेत्राधिकार होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की रू. 1.98 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने एवं उक्त कार्य को सम्पादित करवाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सभांगीय आयुक्त/कलेक्ट्रेट परिसर स्थित उद्यान में पत्थर की बैन्चो की आपूर्ति एवं फिक्सिंग का कार्य नगर निगम का क्षेत्राधिकार होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की जारी रू. 1.98 लाख की प्रशासनिक एवं

वितीय स्वीकृति का अनुमोदन करने एवं एवं उक्त कार्य को सम्पादित करवाने की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: उम्मेद उधान ,जनाना उधान और जयनारायण व्यास टाउन हॉल जोधपुर के विकास के लिये कन्सलटेन्सी के माध्यम से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराने का कार्य।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	उम्मेद उद्यान, जनाना उद्यान और जय नारायण व्यास टाउन हॉल जोधपुर के विकास कार्य के लिए कन्सलटेन्सी के माध्यम से विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने का कार्य।

Consultancy work for Preparation of Detailed project report for Development of ummed garden, janana garden and adjoining town hall at Jodhpur का कार्य उम्मेद उद्यान नगर निगम एवं टाउन हॉल सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पति होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की बैठक की प्रत्याशा में उक्त कार्य की रू. 30.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने एवं उक्त कार्य को सम्पादित करवाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में उपरोक्त कन्सलटेन्सी कार्य के संबंध में आयुक्त महोदय ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि वर्तमान में मात्र कन्सलटेन्सी कार्य ही करवाया जा रहा है तथा कन्सलटेन्ट द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 के आधार पर कार्य किस विभाग से करवाया जाना है यह भविष्य में तय होगा। कार्यादेश से पूर्व नगर निगम उत्तर / दक्षिण एवं कला संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार से सहमति प्राप्त की जावेगी।

अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी 30.00 लाख रूपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि कार्यादेश जारी करने से पूर्व नगर निगम उत्तर / दक्षिण की सहमति तथा जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा शासन सचिव, कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान सरकार को जारी पत्र कमांक 345 दिनांक 27 जनवरी, 2021 द्वारा चाही गयी सहमति प्राप्त की जावे। उक्त विभागों से सहमति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यादेश जारी नहीं किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण को कपड़े के मास्कों की आपूर्ति का कार्य।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	जोधपुर विकास प्राधिकरण को कपडे के मास्कों की आपूर्ति का कार्य।

कोविड–19 के विरूद्ध जन आंदोलन अभियान के प्रचार–प्रसार के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कपड़े के मास्क आपूर्ति हेतु राशि रू. 70.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति के लिये नया बजट शीर्षक 5001–12–008 बनाया गया।

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में दिनांक 7 अक्टूबर 2020 के प्रस्ताव संख्या 11 के तहत कार्य की प्रशासनिक वितीय स्वीकृति राशि रू. 80.00 लाख की स्वीकृति जारी करने एवं उक्त कार्य की स्वीकृति हेतु नया बजट शीर्षक 5001–12–008 बनाये जाने के कारण प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मास्क की आपूर्ति हेतु अब तक दिये गये कार्यादेश की सीमा तक ही मास्क कय करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: सर्किट हाउस में विभिन्न विकास कार्य

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	**सर्किट हाउस में विभिन्न विकास कार्य**

सर्किट हाउस में विभिन्न विकास कार्य करवाया जाना उक्त क्षेत्र का क्षेत्राधिकार पीडब्ल्युडी का होने के कारण प्राधिकरण द्वारा उक्त कार्य करवाये जाने की स्वीकृति एवं राशि रू. 15.80 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान, 2031 (प्रारूप) के अनुमोदन बाबत्।

प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.08.2020 को वी. सी. के माध्यम से आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) के संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त मास्टर प्लान का कार्य मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर के साथ समन्वय स्थापित कर दिनांक 30.09.2020 तक पूर्ण किया जावें। प्रमुख शासन सचिव महो. व अन्य अधिकारियों द्वारा दिनांक 28.08.2020 से 31.08.2020 तक जोधपुर प्रवास के दौरान निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण के निदेशक आयोजना व उनकी शाखा में पदस्थापित अधिकारी कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर में केम्प कर मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान के मार्गदर्शन में कार्य संपादित करेंगे। उक्त क्रम में निदेशक आयोजना व उप नगर नियोजक / सहायक नगर नियोजक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर में उपस्थित होकर कार्य संपादित किया गया।

जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) पर पूर्व में निर्धारित अवधि में आमजन से प्राप्त कुल 1158 आपत्ति / सुझावों पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट तैयार की गयी है। प्राधिकरण स्तर पर तैयार की गयी आपत्ति / सुझाव रिपोर्ट में उल्लेखित निर्णयों को यथासंभव यथावत ही रखा गया है, परन्तु जनहित याचिका संख्या 1554 / 2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.01.2017 व 15.12.2018 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर एवं कमिटमेंट्स के दृष्टिगत आवश्यक वांछित संशोधन संलग्न रिपोर्ट में प्रस्तावित किये गये है।

वर्तमान में भी जनप्रतिनिधियों एवं अन्य द्वारा आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत किये गये है जिनका परीक्षण कर टिप्पणी संलग्न रिपोर्ट में उल्लेखित की गयी है। इन आपत्ति/सुझावों को तकनीकी परीक्षण उपरान्त यथा संभव समायोजित किये जाने का प्रयास किया गया है ताकि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान को व्यावहारिक रूप दिया जा सकें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजना का तैयारी एवं मंजूरी) विनियम, 2014 के अंतर्गत मास्टर प्लान तैयार करने एवं अनुमोदन की शक्तियां प्राधिकरण में निहित है। अतः मुख्य नगर नियोजक महोदय, राज. जयपुर द्वारा जरिये पत्रांक टी.पी.आरः 1121/MP(E)/JDZ/JODHPUR/ 2019/591 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा प्रेषित संक्षिप्त रिपोर्ट मय मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के प्रस्तावित मानचित्रों व पुस्तिका में वांछित संशोधन कर कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.01.2021 अनुसार आवासीय कॉलोनीयों के नियमन बाबत् निर्देश जारी किये गये है जिनमें एक लाख से अधिक आबादी के शहरों हेतु जोनल प्लान लागू होना आवश्यक है। वर्तमान में प्राधिकरण के जोन पूर्व का जोनल प्लान का प्रारूप जारी किया जा चुका है एवम् जोन पश्चिम व दक्षिण के जोनल प्लान का कार्य प्रकियाधीन है एवम् जोन उत्तर के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यदेश भी जारी किया जा चुका है। मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 को लागू किये जाने से पूर्व जोनल प्लान का अनुमोदन संम्भव नहीं है। अतः जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 को अनुमोदित कर लागू किया जाना शीघ्र आवश्यक है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 में बाद विचार विमर्श सर्वसम्मति से प्रारूप मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्तियों एवम् सुझावों पर लिये निर्णयों का अनुमोदन किया गया। मास्टर प्लान 2031 के अनुमोदन की अभिशंषा के साथ प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शहर के नियोजित विकास हेतु जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना द्वारा जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के संबंध में पी.पी.टी. के माध्यम से विस्तृत जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 5 फरवरी, 2021 में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान – 2031 के अनुमोदन की अभिशंषा के साथ प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने के अनुसरण में जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया तथा इसे लागू करने हेतु प्राधिकरण विनियमों के अनुसार राजपत्र में अधिसूचित कराने की कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव के पश्चात् निम्नलिखित अनुसार टेबल एजेण्डा प्राप्त हुआ। जिसको बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से सम्मिलित कर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

प्रस्ताव संख्या 10 :: **राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय ऑडिटोरियम और सांस्कृतिक केन्द्र के फेम संरचना का निम्रण कार्य" कार्य की नवीन बजट मद की स्वीकृति का प्रस्ताव।**

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आगामी प्राधिकरण बैठक हेतु एजेण्डा के घोषणा/ प्रस्ताव निम्नलिखित हैः–

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTS कमांक JDA /FTS/ 102474)	प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा उक्त कार्य हेतु नवीन बजट मद की स्वीकृति का प्रस्ताव।

उक्त कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु किसी भी बजट मद (Head) में प्रावधान नहीं किया गया था। तथा उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कमांक 1293 दिनांक 15.02.2021 राशि रूपये 2000.00 लाख की जारी की गयी।

अतः आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रयोजनार्थ नया बजट मद सृजित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा / 2020 / भाग–9 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 10... / एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत या उसके किसी भाग के गलत तथा/या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का कियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक कियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, कियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी।

कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा)

17/2/21

(हरभान मीणा)
सचिव

क्रमांक / बैठक / 2020 / भाग(9) / 214–234 दिनांक :: 17 फरवरी, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
2– महापौर (उत्तर / दक्षिण) महोदया, नगर निगम, जोधपुर
3– जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
4– जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
5– उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेन्ट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिंक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
6– संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
7– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
8– मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
9– प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
10– आयुक्त, नगर निगम (उत्तर / दक्षिण), जोधपुर
11– उप आवासन आयुक्त–प्रथम / द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
12– वरिष्ठ नगर नियोजक / उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
13– निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14– निदेशक– अभियांत्रिकी / आयोजना / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15– उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16– अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम / द्वितीय / तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17– एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18– सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19– ....

17/2/21

(हरभान मीणा)
सचिव

परिशिष्ट–1

श्री (डॉ.) राजेश शर्मा, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 17 फरवरी, 2021 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. **श्री कमर चौधरी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**
2. **श्री अंजुम ताहिर शम्मा, अतिरिक्त कलक्टर–तृतीय, जोधपुर**
3. **श्री विकास राजपुरोहित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, जोधपुर**
4. **श्री डी.एस. चौहान, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर**
5. **श्री ओ.पी. सुथार, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर**
6. **श्रीमती राजश्री कच्छवाह, तकनीकी सहायक उपायुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर**
7. **श्री योगेश के. संतोलिया, उप नगर नियोजक, कार्यालय**
8. **श्री सुधीर माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम–दक्षिण, जोधपुर**
9. **श्री डी.सी. सोनी, अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर**
10. **श्री हरमान मीणा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर**
11. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री ओ.पी. सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर